Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding need to fill vacant seats of NEET-PG.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इसमें संरक्षण चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य मंत्री को निर्देशित करें कि कानून बनाना हमारी लोक सभा का कार्य है, सरकार का काम है, न्यायपालिका इसमें दखल देना बन्द करे । नीट में पोस्ट ग्रैजुएशन में बच्चों को एडमिशन नहीं लेने दिया जा रहा है, क्योंकि यह कहा जाता है कि समय पूरा हो गया है और यह भी कहा जाता है कि हम इससे कम पर्सेंटाइल नहीं कर सकते हैं ।

महोदय, एक बहुत बड़ा अन्तर है, जिसे न्यायपालिका को समझना पड़ेगा और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री को अपील करनी चाहिए क्योंकि नीट पी.जी. की परीक्षा केवल और केवल डॉक्टर्स देते हैं । 50 पर्सेंटाइल का मतलब हो गया कि 50 प्रतिशत डॉक्टर्स पी.जी. कोर्स के लिए क्वालिफाइड हैं और 50 प्रतिशत डॉक्टर्स, जिन्होंने पास किया है, वे भी क्वालिफाइड नहीं हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो एक हजार सीटें बर्बाद हो गयी हैं और आज जबकि इस देश में दो लाख की आबादी पर एक स्पेशियलिस्ट डॉक्टर है, चाहे वह बच्चों का डॉक्टर हो, चाहे रेडियोलॉजिस्ट हो, इन सीटों को बर्बाद होने से बचाया जाए । जो डॉक्टर पोस्ट ग्रैजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें इसमें एडमिशन देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश जारी करे और पोस्ट ग्रैजुएट कोर्स की सभी सीट्स को भरें या इन्हें सुनिश्चित करें ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री एस. सी. उदासी, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री सुधीर गुप्ता एवं डॉ. मनोज राजोरिया को डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।